भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
एडी अनुभाग

संख्या एवी.24011/1/95-वीबी (वाल्युम. VI)

'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नवी मुंबई में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की स्थापना।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के दिनांक **13.02.2007** के पत्र संख्या सीआईडीसीओ/टी एंड सी/एटीसीई/**046/012** संदर्भ में, अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह सूचित करने का निदेशक हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना हेतु निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन **"सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान** किया है:-

(क) उपयुक्त चरण में, शक्तिप्रदत्त मंत्रियों के समूह (Empowered Group of Ministers), जिसे अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, निम्नलिखित सहित सभी प्रासंगिक मुद्दों पर विचार करेगा:-

(i) विधिक प्रश्न, जिनमें बोली प्रक्रिया तथा संविदात्मक पहलू शामिल हैं, ताकि राज्य सरकार अथवा किसी अन्य कारण से अनुपालन न होने की स्थिति में केंद्र सरकार को किसी प्रकार की देयता का सामना न करना पड़े।

(ii) रक्षा मंत्रालय की चिंताएँ।

(iii) क्षेत्र में शहरी एवं अवसंरचना संबंधी दबावों तथा हाल ही में मुंबई में आई बाढ़ से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जल निकासी एवं बाढ़ नियंत्रण संबंधी पहलू।

(ख) नागर विमानन मंत्रालय राज्य सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (सीआईडीसीओ) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अधिकारियों की एक संचालन समिति गठित करेगा, जो परियोजना की संरचना एवं कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, जिसमें वित्तपोषण प्रस्ताव, निविदा एवं अन्य दस्तावेजों की तैयारी, बोली प्रक्रिया तथा रणनीतिक भागीदार का चयन शामिल होगा।

(ग) निजी भागीदार का चयन पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एमआईएपीएल) के साथ निष्पादित राज्य सहायता समझौते (एसएसए) के पैरा 3.4.1 के अंतर्गत उसके निकटवर्ती क्षेत्र में दूसरे हवाईअड्डे के संबंध में **प्रथम अस्वीकृति का अधिकार (आरओएफआर)** प्रदान किया गया है। संबंधित अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत है:-

"हवाईअड्डे के 150 कि.मी. (एक सौ पचास किलोमीटर) की परिधि के भीतर दूसरे हवाई अड्डे के संबंध में प्रथम अस्वीकृति का अधिकार (आरओएफआर) संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जिसमें यदि जेवीसी अपने आरओएफआर का प्रयोग करना चाहे तो वह भी भाग ले सकती है। यदि जेवीसी सफल बोलीदाता नहीं होती है, परंतु उसकी बोली प्राप्त सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी बोली से 10% की सीमा के भीतर होती है, तो जेवीसी को दूसरे हवाई अड्डे के लिए चयन मानदंडों के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त बोलीदाता की शर्तों का मिलान करके आरओएफआर का अधिकार प्राप्त होगा, बशर्ते कि आरओएफआर का प्रयोग करते समय किसी भी परियोजना समझौते के अंतर्गत उसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो तथा उसके विरुद्ध कोई महत्वपूर्ण चूक न हो, जिससे प्रतिपक्ष को अपनी बाध्यताओं को निलंबित करने अथवा समझौता समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। तथापि, यह भी प्रावधानित है कि इस खंड 3.4.1 का कोई भी प्रावधान भारत सरकार द्वारा चाकण, पुणे अथवा उसके निकटवर्ती किसी अन्य स्थान पर दूसरे हवाईअड्डे के विकास संबंधी किसी प्रस्ताव पर लागू नहीं होगा।"

उपरोक्त उपबंध को निजी भागीदार के चयन हेतु निविदा दस्तावेजों में समुचित रूप से सम्मिलित किया जाएगा। मुंबई में दूसरे हवाई अड्डे के संबंध में एमआईएपीएल को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं।

महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध है कि इस विषय में आवश्यक आगामी कार्रवाई की जाए।

हस्ताक्षरित/-

(अन्ना रॉय)
निदेशक

महाराष्ट्र सरकार
(श्री जॉनी जोसेफ, मुख्य सचिव)
मुंबई।

प्रतिलिपि:

1. प्रबंध निदेशक, सिडको, सिडको भवन, सीबीडी-बेलापुर, नवी मुंबई – उनके पत्र संख्या सीआईडीसीओ/टी एंड सी/एसीटीई/002/01.1/2007 दिनांक 17.01.2007 के संदर्भ में।
2. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली।

(अन्ना रॉय)
निदेशक